छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2011
(चैत्र-10, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच मोहाली में हुए विश्व कप के सेमीफायनल मैच में जीत हासिल कर फायनल में प्रवेश करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम, सचिन तेंदुलकर को मैनआफ द मैच के लिए एवं प्रदेश एवं देशवासियों को सदन की ओर से बधाई दी।

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य द्वारा भी बधाई दी गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 04 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - बुधवार दिनांक 30 मार्च, 2011 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोन्टा मुख्यालय सुकमा की ओर से छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य माननीय सर्वश्री नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, भजन सिंह निरंकारी, अमरजीत भगत, (डॉ). प्रेमसाय सिंह टेकाम, ह्दयराम राठिया, कवासी लखमा, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, बोधराम कंवर एवं कुलदीप सिंह जुनेजा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की प्राप्त सूचना सदन को दी गई थी।

उक्त सूचना के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोन्टा मुख्यालय सुकमा द्वारा अनुरोध किया गया है कि जो सूचना भेजी गई थी, उसमें लिपिकीय त्रुटिवश निजी मुचलके पर नि:शर्त रिहा किया जाना गलती से टंकण हो गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि लिपिकीय त्रुटि को क्षमा करते हुए शब्द "स्वयं के मुचलके" को विलोपित कर "नि:शर्त रिहा किया गया," पढ़ा जाये।

विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 172 के अधीन गुरूवार, दिनांक 31 मार्च, 2011 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोन्टा मुख्यालय सुकमा द्वारा उक्त त्रुटि को सुधारते हुए संशोधित प्रपत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार संशोधन स्वीकार किया जाता है। मैं समझता हूँ, सदन सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

4. वक्तव्य

जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम के संबंध में।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम के संबंध में वक्तव्य दिया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

5. पृच्छा

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया कि बागबाहरा क्षेत्र मे सुखरीडबरी गांव में 3 व्यक्ति की बिजली के तार टूटने के कारण मृत्यु हो गई है।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने मृतकों के तीनों परिवारों को 50-50 हजार रूपये मुआवजा दिये जाने की घोषणा की।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2009-2010,

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने-

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010,

(4) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010, तथा

(5) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, पटल पर रखा

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 13 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) एवं (2) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री खेदूराम साहू, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव के लालबाग क्षेत्र के ग्राम-रामपुर में संचालित पटाखा कारखाना में सुरक्षा व्यवस्था न होने से मजदूर की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला-दंतेवाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक - 30 के निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान किये जाने के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	श्री सौरभ सिंह
(4)	श्री सौरभ सिंह
(9)	श्री देवजी पटेल
(10)	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
(11)	श्री भजन सिंह निरंकारी

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री भोलाराम साहू

(2) श्री मोहम्मद अकबर

(3) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(4) श्री नंदकुमार पटेल

(5) श्री रामदयाल उईके

(6) श्री चैतराम साहू

(7) श्री राजकमल सिंघानिया

(8) श्री ताम्रध्वज साहू

(9) श्री डमरुधर पुजारी

(10) डॉ.शक्राजीत नायक

(11) श्री लेखराम साहू

(12) श्री भीमा मण्डावी

(13) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(14) श्री रामपुकार सिंह

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवजी पटेल, सभापति ने प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री जगेश्वर राम भगत

(2) श्री रामदेव राम

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, परेश बागबाहरा, रविन्द्र चौबे।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से भोजनावकाश स्थगित कर निरंतरता में कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10, सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, श्री रविन्द्र चौबे।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, श्री सौरभ सिंह।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 27 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री देवजी पटेल, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों

संबंधी समिति के लिए क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नांकित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया जाता है :-

लोक लेखा समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
3. श्री संतोष बाफना
4. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
5. डॉ.सुभाऊ कश्यप
6. श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी
7. श्री बोधराम कंवर
8. डॉ.हरिदास भारद्वाज
9. श्री टी.एस.सिंहदेव

श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री बैदूराम कश्यप
3. श्री दीपक कुमार पटेल
4. श्री फूलचंद सिंह
5. श्री राजू सिंह ठाकुर
6. डॉ.शक्राजीत नायक
7. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
8. श्री परेश बागबाहरा
9. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री दीपक कुमार पटेल
3. श्री संतोष बाफना
4. श्री भीमा मंडावी
5. श्री ब्रम्हानंद
6. श्री नंदकुमार पटेल
7. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
8. डॉ. शिवकुमार डहरिया
9. श्री भजन सिंह निरंकारी

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री भीमा मंडावी
2. श्री ब्रम्हानंद
3. श्री रामजी भारती
4. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
6. श्री रामपुकार सिंह
7. डॉ. शिवकुमार डहरिया
8. श्री अग्नि चंद्राकर
9. श्री लेखराम साहू

श्री भीमा मण्डावी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

15. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2011-2012 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री,
3. श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
4. श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन मंत्री,
5. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा,
6. श्री नंदकुमार पटेल
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष, विधानसभा
2. श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री
3. श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री
4. श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
5. श्री रामपुकार सिंह
6. श्री बोधराम कंवर
7. डॉ. हरिदास भारद्वाज
8. डॉ. शक्राजीत नायक

अध्यक्ष विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
2. श्री खेदूराम साहू
3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
5. श्री बदरूद्दीन कुरैशी
6. श्री अग्नि चंद्राकर
7. श्री अमरजीत भगत

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री राजू सिंह ठाकुर
2. श्रीमती कुमारी मदन साहू
3. श्री डमरूधर पुजारी
4. श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स
5. श्री ताम्रध्वज साहू
6. श्री हृदयराम राठिया
7. श्री रामदयाल उइके

श्री राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री सेवकराम नेताम
2. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी

3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री रामजी भारती
5. श्री बोधराम कंवर
6. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
7. श्री जयसिंह अग्रवाल

श्री सेवकराम नेताम, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री फूलचंद सिंह
2. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
3. श्री खेदूराम साहू
4. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
5. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
6. श्री चैतराम साहू
7. श्री रामपुकार सिंह

श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री दीपक कुमार पटेल
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्री बैदूराम कश्यप
4. श्री राजू सिंह ठाकुर
5. श्री टी.एस.सिंहदेव
6. श्री अग्नि चंद्राकर
7. श्री लखमा कवासी

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. श्री राजकमल सिंघानिया
4. श्री गुरूमुख सिंह होरा
5. श्री अमितेश शुक्ल

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
3. श्री नंदकुमार साहू
4. श्री भीमा मण्डावी
5. श्री संतोष बाफना
6. डॉ.हरिदास भारद्वाज
7. श्री महंत रामसुंदर दास
8. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
9. श्री सौरभ सिंह

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री नंदकुमार साहू

2. श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स
3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्रीमती कुमारी मदन साहू
5. श्री भोलाराम साहू
6. श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
7. श्री दूजराम बौद्ध

श्री नंदकुमार साहू, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
4. श्री खेदूराम साहू
5. श्री गुरू रूद्र कुमार
6. श्री शिवराज सिंह उसारे
7. श्री भजन सिंह निरंकारी

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री डमरूधर पुजारी
3. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
4. श्री सेवकराम नेताम
5. श्री नंदकुमार पटेल
6. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

7. श्री ताम्रध्वज साहू

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री ब्रम्हानंद
3. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
4. श्री अमितेश शुक्ल
5. श्री रामदेव राम
6. श्री रामदयाल उइके

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

16. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निम्नांकित सदस्यों को वर्ष 2011-2013 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के तहत समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
2. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
3. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
4. श्री सेवकराम नेताम
5. श्री डमरूधर पुजारी
6. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
8. श्रीमती अंबिका मरकाम

9. श्री महंत रामसुंदर दास

श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2011-2012 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष, विधान सभा
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी
6. श्री देवजी भाई पटेल
7. डॉ कृष्णमूर्ति बांधी
8. श्री भीमा मण्डावी
9. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
10. श्री राजू सिंह ठाकुर
11. श्री सेवकराम नेताम
12. श्री फूलचन्द सिंह
13. श्री दीपक कुमार पटेल
14. श्री बद्रीधर दीवान
15. श्री नंदकुमार साहू
16. श्री बैदूराम कश्यप
17. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
18. श्री धर्मजीत सिंह
19. डॉ. शक्राजीत नायक
20. डॉ.हरिदास भारद्वाज

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति का पदेन सभापति होंगे।

18. नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमवाली के नियम 167 के मेरे समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

1. माननीय मंत्री, श्री रामविचार नेताम द्वारा माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री टी.एस.सिंहदेव के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 13 जनवरी, 2011
2. माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री शिवराज सिंह उसारे द्वारा माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री रामजी भारती एवं डोंगरगढ़ के टी.आई. श्री विश्वास चंद्राकर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 25 मार्च, 2011

19. नियम - 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निम्नानुसार विशेषाधिकार भंग की सूचना उनके समक्ष विचाराधीन है :-

1. माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी द्वारा पुराना बस स्टैंड, रायपुर निवासी डॉ.अनिल खाखरिया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 09 मार्च, 2011
2. माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ.सुभाऊ कश्यप द्वारा माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री अमरजीत भगत के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 24 मार्च, 2011

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आग्रह किया कि माननीय सदस्य ने खेद प्रकट कर दिया है, इसलिए विशेषाधिकार भंग की सूचना को समाप्त किया जावे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत से खेद व्यक्त करने और डॉ.सुभाऊ कश्यप जी से सूचना लेने का आग्रह किया।

माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त विशेषाधिकार भंग की सूचना को अग्राह्य किया गया।

20. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

तृतीय विधान सभा के षष्ठम सत्र का आज अंतिम दिवस है । मैं इस सत्र के समापन अवसर पर सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय रविन्द्र चौबे जी और माननीय उपाध्यक्ष जी को कार्यवाही के सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं । विधान सभा का यह षष्ठम सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस सत्र में कुल 27 बैठकें सम्पादित हुईं । जिसमें कुल 135 घंटे, 35 मिनट, माननीय सदस्यों ने न केवल प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 139 के अंतर्गत सभा में शासन की जवाबदेही सुनिश्चित की, अपितु वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान एवं 13 विधेयकों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधिक कार्य भी सम्पादित किया । यह सदन छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 15 लाख जनता की आकांक्षाओं का केन्द्र बिंदु है और मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में अपने विचारों के द्वारा उनके दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि उच्च संसदीय कीर्तिमान एवं संसदीय संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं तो जन-जन तक इसका एक अच्छा संदेश जाता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस सदन की गरिमा में भी अभिवृद्धि होती है । यद्यपि वर्तमान सत्र में कुछ मुद्दों पर प्रतिपक्ष उद्वेलित भी हुआ और कुछ समय के लिए संसदीय प्रणाली में शासन की किसी नीति अथवा कार्य के संबंध में विरोध की अभिव्यक्ति बहिर्गमन करके भी की, किन्तु समग्र रूप से यदि हम देखें तो ऐसे अवसर सभा की कुल सम्पूर्ण अवधि में से अल्प समयावधि के लिए ही आए है । यह इस बात का द्योतक है कि माननीय सदस्यों ने जन-भावनाओं के अनुरूप संसदीय परम्पराओं को आत्मसात करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन किया है और प्रदेश की 2 करोड़, 15 लाख जनता ने माननीय सदस्यों की संसदीय संस्कारों के प्रति दृढ़ विश्वास एवं इच्छाशक्ति की संभावनाओं को भी महसूस किया है इसके लिए मैं समस्त सदस्यों को बधाई देता हूं ।

इस सत्र में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद से उपचुनाव में निर्वाचित सदस्या श्रीमती कुमारी मदन साहू ने 21 फरवरी, 2011 को सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की और सभा में स्थान ग्रहण करने के पश्चात् सभा की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया । मैं उनके इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन एवं सभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र में ही हिस्सा लेने के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं ।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर ही इस राज्य की प्रतिष्ठा एवं प्रगति निर्भर करती है । सदस्यों का कार्य एवं व्यवहार किस प्रकार रहें, इस पर विचार करने का दायित्व समस्त सदस्यों का ही है और यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि सभा में अधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा कैसी हो ? चर्चा के दौरान जो निष्कर्ष बाहर आये, उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ? इन समस्त बिन्दुओं पर आप समस्त माननीय सदस्य गंभीरता से विचार करें ।

आप सबको यह स्मरण होगा कि दिनांक 3 मार्च, 2011 को प्रश्नोत्तर सूची के प्रश्न क्रमांक 3 जो जांजगीर जिले के रोगदा बांध से संबंधित था, पर मैंने शासन के उत्तर से उद्‌भूत विषयों पर प्रतिपक्ष की मांग के अनुरूप सभा की समिति का गठन भी किया है और इस विचार को पुष्ट करने का प्रयास भी किया है कि जब बहुमत के आगे अल्पमत की बातों को अपेक्षित महत्व न मिलें, तब ऐसी स्थिति में आसंदी के लिए यह दायित्वाधीन होता है कि अल्पमत के कारण प्रतिपक्ष की कोई जायज मांग बहुमत के सामने गुम न हो जाए । विषय की महत्ता एवं तत्कालिकता पर विचार कर मैंने यह प्रकरण जांच समिति को संदर्भित भी किया और इसी प्रकार दिनांक 23 फरवरी, 2011 के प्रश्न संख्या-5 (क्रमांक 883) जो कि पंचायत विभाग के वाटरशेड मैनेजमेंट की योजना के लिए कार्य आवंटन से संबंधित था, पर विचार करते हुए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया।

इस सदन की यह मौलिक विशेषता है कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य लोक कल्याणकारी विषयों पर सदन में वैचारिक मतभेद अवश्य प्रतीत होते हैं जो कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है, किन्तु मुझे प्रसन्नता इस बात की है और मैं इस अवसर पर बधाई भी देना चाहता हूं कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य मनभेद का दुर्बल पक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता ।

सभा में सदस्यों ने सहृदयता एवं सद्‌भाव के जिस भाव को प्रदर्शित किया है और सार्वजनिक जीवन में भी सद्‌भावी व्यवहार के जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं । ऐसे संसदीय आस्था में विश्वास रखने वाले सदस्यों के सदन के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का अवसर प्राप्त होना निश्चित तौर पर एक गर्व की बात है और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं ।

इस सत्र में जहां प्रतिपक्ष के सदस्यों ने एक सशक्त और जागृत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है, वहीं सत्ता पक्ष एवं इसके सदस्यों ने प्रतिपक्ष की जनकल्याण के प्रति आस्था के परिप्रेक्ष्य में वांछित व्यवहार एवं भावना को भी अपने कार्यों से पुष्ट किया है । मैं सत्ता पक्ष एवं इसके सदस्यों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिनांक 8 मार्च, 2011 को जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय श्री दूजराम बौद्ध एवं अन्य माननीय महिला सदस्यों ने मातृशक्ति के प्रति आस्था को अपने विचारों के माध्यम से प्रकट किया, वहीं दिनांक 14 मार्च, 2011 को राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर महिलाओं के समग्र विकास पर केन्द्रित विषय **महिलाओं का परिवर्तन के**

प्रतिनिधि के रूप में योगदान पर विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के 29 से अधिक चयनित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे । छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया ।

वस्तुतः युवी पीढ़ी की संसदीय प्रणाली के प्रति आस्था को सुदृढ़ करना ही इस प्रणाली को सुदृढ़ करना है और यही करण है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विधान सभा सचिवालय युवा पीढ़ी को इस प्रणाली के प्रति जागृत करने और इसके प्रति आस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है । वर्तमान सत्र में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के 1502 छात्र-छात्राओं ने विधान सभा की कार्यवाही देखी । निश्चित रूप से विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले विद्यार्थियों के मन में इस प्रणाली को समझने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके दूरगामी परिणाम अवश्य आयेंगे । मैं इस अवसर पर महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों की भी प्रशंसा करता हूं । आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधान सभा क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं को विधान सभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्राएं राज्य की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की कार्य प्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके ।

माननीय सदस्य अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें, इस हेतु उनका स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विधान सभा सचिवालय में दिनांक 08 मार्च से 10 मार्च, 2011 तक मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों एवं मेकाहारा हॉस्पिटल के चिकित्सकों की उपस्थिति में एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया तथा एस्कार्टस् हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने भी दिनांक 25 मार्च, 2011 को माननीय सदस्यों के लिये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा शिविर में आने वाले और सदस्यों का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक एवं इससे जुड़े अन्य कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

इस सत्र में गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2011 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल जी के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। आप सबको विदित ही है कि संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं की संख्यात्मक जानकारी एवं सभा में समग्र रूप से सदस्यों के हिस्सा लेने, संसदीय आचरण का पालन करने को विचार में लेते हुये पक्ष एवं प्रतिपक्ष के दो सदस्य क्रमशः माननीय श्री संतोष बाफना जी एवं माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी का चयन समिति के द्वारा किया गया और सभा की कार्यवाही के जन-जन तक सम्प्रेषण में पत्रकारों की भूमिका को विचार में लेकर उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संवाददाता क्रमशः दैनिक भास्कर के श्री शिव दुबे एवं जी-24 घंटे, छत्तीसगढ़ की सुश्री प्रियंका कौशल को भी महामहिम राज्यपाल जी के करकमलों से अलंकृत किया गया। मैं माननीय सदस्य श्री संतोष बाफना, माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अकबर, श्री शिव दुबे एवं सुश्री प्रियंका कौशल को भी इस अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ तथा महामहिम जी की उपस्थिति के लिये मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

अलंकरण समारोह के पश्चात् संस्कृति विभाग के सौजन्य से सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री हेमामालिनी एवं उनकी पुत्री ईशा एवं आहना का शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मैं संस्कृति मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सौजन्य से माननीय सदस्यों के लिये कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका।

इस सत्र में जनप्रतिनिधि संस्थाओं एवं संगठनों के लगभग 49 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, 8100 व्यक्तियों को विधान सभा परिसर प्रवेश-पत्र जारी किये गये। साथ ही लगभग 10,000 व्यक्तियों ने दर्शक-दीर्घा से विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया।

दर्शक दीर्घा का विस्तार जन-जन तक करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के माध्यम से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी प्रति-दिन प्रसारित की गई।

वैसे तो यह बजट सत्र था, जिसमें 48 विभागों की 72 मांगों पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा उपरांत मांगों को पारित किया, किंतु वित्तीय कार्य के साथ-साथ वर्तमान सत्र में चर्चा के विभिन्न माध्यमों से लगभग समस्त सामयिक अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर व्यापक और विस्तार से चर्चा होना इस सदन की उपलब्धि है। अब मैं इस बजट सत्र में सदन के सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र में 2,598 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुईं। इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 1,016 रहे, इनमें से 233 प्रश्न पर चर्चा हुई। इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 09 प्रश्न का रहा, अर्थात प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने आवश्यक लाभ उठाया। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में नियम-139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 03 सूचनाओं पर चर्चा हुई।

इस सत्र में 41 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 11 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये, उनमें से 10 संकल्प स्वीकृत हुए एवं एक संकल्प अस्वीकृत हुआ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तौला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुँचाया आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश के जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन-भावना, जन-कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। इस सत्र में कुल 165 स्थगन के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से दो विषयों से संबंधित 42 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 118 रही । इस सत्र में शून्यकाल की 178 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 117 सूचनाएं ग्राह्य व 61 सूचनाएं अग्राह्य रही।

तृतीय विधान सभा के इस षष्ठम सत्र में कुल 757 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 112 सूचनाएं ग्राह्य व 559 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में कुल 13 विधेयक लाए गए और पारित हुए। इस सत्र में कुल 25 विभागीय प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 303 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई। लोक लेखा समिति के 15

प्रतिवेदन सहित विधान सभा की विभिन्न समितियों के कुल 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत हुए।

इन सांख्यिकी आँकड़ों के आधार पर मैंने इस सत्र में सम्पादित कार्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। मैं कह सकता हूँ कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से किया ।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी एवं सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सर्वश्री बद्रीधर दीवान, धर्मजीत सिंह, डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, देवजी पटेल सहित विशेष रूप से हमारे उपाध्यक्ष महोदय को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

वैसे आज पूरे हिन्दुस्तान और लोकसभा में देखें तो निश्चित रूप से सदन चलाना कितना कठिन है? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने आज देश और बाकी जगहों की परिस्थितियों को देखा है लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस सदन में हमारे माननीय सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों के लम्बे संसदीय अनुभव का लाभ, इस सदन को चलाने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकरियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधानसभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी मानसून सत्र अगस्त माह में तृतीय-चतुर्थ सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आवाह्न करना चाहता हूँ कि आईये! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद!

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, श्री बृजमोहन अग्रवाल-संसदीय कार्य मंत्री, ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किये।

21. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 3.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा